2017/00551

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री रामदेवाराम पुत्र नरसाराम भादू निवासी गांव देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पूगल प्रथम सूचना अपील संख्या 281/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
WebCopy - Not Official

: निर्णय :

08.01.18

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। सहायक लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.10.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर, बीकानेर से चाही गई थी। परन्तु वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से वांछित सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी का आवेदन–पत्र पत्रांक 1683 दिनांक 16.10.17 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (राजस्व), पूगल को निर्धारित समयावधि में हस्तानान्तरण करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पूगल के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब दिनाक 26.12.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाचुकी है। सूचना प्राप्ति की रसीद अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पूगल द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई आपति/प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी की सूचना से संतुष्ट है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर